

जिला अस्पताल में स्टाफ सदस्य ही दवाइयां गायब कराने का कर रहे हैं घिनौना कृत्य

जीवनरक्षक दवाइयां व अन्य सामग्री की हो रही चोरी, दवाइयां की हेराफेरी का खुलासा, नवभारत टीम ने वीडियो में किया कैद

नवभारत न्यूज भिण्ड, 05 मई. जिला अस्पताल में मरीजों के लिए आई जीवनरक्षक दवाइयां के गायब होने का बड़ा खुलासा हुआ है। यह मामला भी गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बनी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) का है। नवभारत टीम ने स्टिंग के दौरान ऑडियो-वीडियो में पूरी घटना कैद की है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अस्पताल की एक स्टाफ सदस्य सिविल ड्रेस पहने महिला को दवाइयां, ड्रिप और अन्य सामान उपलब्ध करा रही है।

बता दें यह घटना तो एक इकाई आईसीयू की सामने आई है। जबकि जिला अस्पताल में ऐसी अनेक इकाइयां हैं। जहां से इस प्रकार से जीवनरक्षक दवाएं गायब



होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। आज मंगलवार को कैमरे में कैद की गई घटना सुबह करीब 11.45 बजे की है। एक डार्क ब्लू ड्रेस पहने और मुंह पर मास्क लगाए हुए महिला कर्मचारी एक लाल कलर के कपड़े पहने महिला के साथ आईसीयू में प्रवेश करती है। हालांकि मास्क इसके कानों में अटका हुआ था लेकिन वह मुंह पर नहीं लगाए थी। महिला कर्मचारी द्वारा पहले दवाइयां की टेबल से

टेबलट्स और कैप्सूल सिविल ड्रेस पहने महिला के बैग में रखवाए गए इसके बाद दूसरी टेबल पर ड्रिप आदि सामग्री रखवाई गई। सूत्रों के अनुसार अस्पताल के कुछ स्टाफ सदस्य ही दवाइयां को गायब करने में जुटे हैं। जीवनरक्षक और महंगी दवाइयां स्टॉक रजिस्टर में दर्ज होने के बाद भी मरीजों तक नहीं पहुंच रही हैं।

बैग में भरकर ले गई महिला: वीडियो में महिला स्टाफ से मिली दवाइयां और ड्रिप को अपने बैग में रखकर अस्पताल से बाहर जाती दिख रही है। ये सभी दवाइयां मरीजों को मुफ्त वितरण के लिए अस्पताल में आई थीं। सूत्रों के अनुसार इस तरह दवाएं गायब कर बाहर बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा है।

सिविल सर्जन ने दिए जांच के निर्देश: जब यह वीडियो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को

उपलब्ध कराया गया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और बिना देर किए अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाकर मामले की त्वरित जांच करने और दोषी स्टाफ की पहचान कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत: इस प्रकार से जीवनरक्षक दवाइयां की हेराफेरी जिला अस्पताल के विभिन्न इकाइयों से हो रही हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिम्मेदारों को सख्त मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गंभीर मरीजों के हक की दवाएं उन तक पहुंच सकें। स्टॉक रजिस्टर का नियमित मिलान और सीसीटीवी से निगरानी जरूरी है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो।

समाजसेवियों ने की जांच की मांग: शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन से

मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल से दवा चोरी होना सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ है। इस घटना की शिकायत हेल्पलाइन 181 और कलेक्टर से भी किए जाने की तैयारी भी की जा रही है।

जांच करा रहे रिपोर्ट आते ही कार्रवाई होगी: जिला अस्पताल के आईसीयू से जीवनरक्षक दवाएं गायब होने की वीडियो रिकार्डिंग प्राप्त हुई। यह कृत्य किस कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी पड़ताल कराई जा रही है। इस कृत्य की जांच रिपोर्ट मिलने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. आरएन राजौरिया, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल

कमजोर व्यक्ति को न्याय मिले : डीआईजी डॉ यादव

मामले में कोई झूठा न फंसे, अपने विदाई समारोह में बोले अरिस्त

नवभारत न्यूज भिण्ड, 05 मई. जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अरिस्त यादव पदोन्नति पाकर ग्वालियर रेंज के डीआईजी बन गए हैं। उनके सम्मान में स्थानीय क्रिस्ट इंजीनियरिंग होटल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए।

श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ श्रीवास्तव द्वारा सभी पत्रकार साथियों, मित्र मंडल एवं व्यापारी साथियों के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में डीआईजी डॉ. यादव ने कहा कि अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जिले में झूठे अपराध पंजीबद्ध करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के भरसक प्रयास किए। कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिले इसके लिए थाना स्तर पर मामलों की नियमित समीक्षा कराई गई। इस मौके पर मुख्य रूप से जनसंपर्क अधिकारी पुष्पराज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा, भानु श्रीवास्तव, अनिल चौधरी, गुणाकेश पाराशर, सौरभ शर्मा, विकास जोशी,



आकाश भदोरिया, मनोज श्रीवास्तव, शिवम पांडे, विष्णु तोमर, हसरत अली, परनिवेश भारद्वाज, दिलीप सोनी, इमरान खान, असगर खान, संजय शर्मा, सुनील कांकर, गिरिज बोहरे, आनंद कुशवाह, हरिओम वर्मा, रविचमन प्रजापति, राधेवंद सिंह ऊमरी, आदित्य द्विवेदी, अनिल भारद्वाज, राधे रवि राजावत के अलावा व्यापारी संघ से अमित जैन, डॉ. योगेन्द्र यादव, प्रदीप सक्सेना, वीरेंद्र यादव, मोनू सोनी, पंकज जैन, अतुल जैन, धर्मेन्द्र जैन, लल्लु वाजपेयी, मिच्चे गुप्ता, अखिल जैन, आरव जैन के अलावा आधा सैकड़ से अधिक पत्रकार एवं व्यापारी मौजूद रहे।

एफआईआर में नाम बढ़ाने की परंपरा रोकें: डॉ. यादव ने कहा कि एफआईआर में चार की

जाह 14 लोगों के नाम लिखे जाने की गलत परंपरा चक्र रही थी। इस पर काफी हद तक अंकुश लगाया गया ताकि निर्दोष लोगों को परेशान न होना पड़े। विवेचना को तथ्यात्मक और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया।

दवाब में नहीं होने दी मनमानी कार्रवाई: डॉ. यादव ने कहा कि उनके कार्यकाल में किसी भी घटना पर जाम लगाकर पुलिस पर दबाव बनवाकर मनमानी कार्रवाई नहीं होने दी गई। कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस ने निष्पक्षता से काम किया। उन्होंने गए अधिकारियों से भी इसी कार्यशैली को अपनाने का आह्वान किया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में 71 आवेदकों को समस्यार्थ सुनी गई, बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम में कराया प्रवेश



भगवान का भजन करने से ही इंसान के सभी कष्ट कटते : देवी शिखा

नवभारत न्यूज मालनपुर, 05 मई. नगर परिषद क्षेत्र वाई क्रमांक 3 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज देवी सेवा किशोरी ने कहा कि भगवान का भजन करने से इंसान सभी कासन से दूर होता है और उन्होंने आज तीसरे दिन भगवान 52 की कथा का वर्णन किया कहा कि आमतौर पर 'बावन भगवान' या 'बावन अवतार' के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य रूप से इसका मतलब भगवान विष्णु के 24

अवतारों से है, लेकिन लोक कथाओं में इसे बढ़ाकर 52 कर दिया गया। में शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार और 24 अवतार बताए गए हैं। कहते हैं एक बार धरती पर पाप बढ़ गया। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। तब महादेव ने अपने गण भैरव से 52 वीरों को प्रकट किया। हर वीर को एक शक्ति दी गई। ये 52 वीर दुष्टों का नाश करते, भक्तों की रक्षा करते। किसी गांव में बीमारी फैलती, कोई तंत्र-मंत्र से परेशान

होता, तो लोग 52 वीर का 'जागरण' कराते हैं। मान्यता है कि 52 वीर की चौकी लगाने से भूत-प्रेत, ऊपरी बाधा दूर होती है- 52 वीर की पूजा अमावस्या या शनिवार को होती है। विष्णु के 24/52 अवतार वाली कथा भागवत पुराण में 24 अवतार हैं - मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि। लोक में इन्हीं को बढ़ाकर 52 कर दिया गया।

कलेक्टर परिसर में हुई जनसुनवाई

नवभारत न्यूज भिंड 05 मई. मंगलवार को कलेक्टर परिसर में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे 71 आवेदकों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर द्वारा भी आवेदकों की समस्याओं की सुनवाई की गई। जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान भिण्ड जिले की निवासी बुजुर्ग महिला गिरजा देवी पत्नी शिव सिंह ने कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसके पास रहने का कोई सहारा नहीं है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए



वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने गिरजा देवी की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए प्राथमिकता के आधार पर वृद्धाश्रम में भर्ती कराने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन के प्रयासों से उनके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरजा देवी को वृद्धाश्रम तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से प्रसन होकर बुजुर्ग महिला गिरजा देवी वृद्धाश्रम पहुंचीं। उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से अपनी समस्या का शीघ्र समाधान होने पर जिला प्रशासन एवं अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पीडीएस दुकान आवंटन के आवेदन 9 तक

मुरैना, 5 मई. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के आदेशानुसार दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए आवेदन 09 मई तक ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी मुरैना ने बताया कि मुरैना जिले के जौरा विकासखंड के अंतर्गत 800 से अधिक पात्रता पचीधारी हितग्राहियों को ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान आवंटन किया जाना है। जिनमें ग्राम पंचायत डॉंगरपुर, उरहेरा, खांडोली, मैनाबासई और गणेशपुरा के लिए आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित अनु. अधिकारी राजस्व कार्यालय एवं खाद्य कार्यालय मुरैना से संपर्क किया जा सकता है।



भीषण गर्मी में श्रमिकों के स्वास्थ्य का ख्याल, सूर्या रोशनी ने बांटे तरबूज

नवभारत न्यूज मालनपुर, 05 मई. भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मालनपुर, भिंड के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित सूर्या रोशनी लिमिटेड ने श्रमिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें तरबूज वितरित किए। कंपनी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों को तरबूज बांटे गए और गर्मी में तरबूज खाने के फायदे भी समझाए गए। कंपनी के एचआर हेड मुकुल चतुर्वेदी ने बताया कि तरबूज में 90 से ज्यादा पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है।

इसमें लाइकोपीन, विटामिन-ए और सी होते हैं जो लू से बचाव करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इस अवसर पर कंपनी के यूनिट हेड तपन कुमार बंदोपाध्याय ने कहा कि श्रमिक हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। भीषण गर्मी में उनकी सेहत का ध्यान रखना कंपनी की जिम्मेदारी है। आगे भी समय-समय पर फल वितरण जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में संजय सिंह कुशवाह, अरुणोत्तम लाल सिंह अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्रमिकों ने कंपनी की इस पहल की सराहना की।

हम्माल-पल्लेदारों ने सौंपा ज्ञापन, सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग



नवभारत न्यूज भिण्ड, 05 मई. हम्माल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन सीटू के बैनर तले मंगलवार को जिलाध्यक्ष विनोद सुमन के नेतृत्व में हम्माल, पल्लेदार एवं तुलावटी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी सचिव राजेश राजौरिया को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सीटू जिला अध्यक्ष विनोद

सुमन ने बताया कि महंगाई के चलते सांसद, विधायक, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन हम्माल, पल्लेदार एवं तुलावटी का मेहनताना पिछले 40 माह से नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने मजदूरी दर बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों एवं व्यापारियों द्वारा प्रति 50 किलो पर 6 रुपए

50 पैसे मजदूरी दी जाती है, जिसे बढ़ाकर किसान एवं व्यापारी दोनों की ओर से 10-10 रुपए किया जाए। ज्ञापन में मंडी परिसर में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विनोद सुमन ने बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा लगाए गए सीमित मटके किसानों, व्यापारियों और हम्मालों की संख्या के मुकाबले अपर्याप्त हैं। साथ ही पेयजल टंकी की लंबे समय से सफाई नहीं होने से पानी उपयोग योग्य नहीं है। उन्होंने मंडी परिसर एवं सार्वजनिक जन सुविधा केंद्रों की नियमित सफाई के लिए स्थायी सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की मांग भी की। ज्ञापन में मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई। फेडरेशन ने मांग की कि किसानों एवं व्यापारियों के माल की सुरक्षा तथा आवाजाही पशुओं से बचाव के लिए स्थायी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं। फेडरेशन ने कहा कि मंडी परिसर में किसानों के लिए उपलब्ध विश्राम गृह

अव्यवस्थाओं के कारण उपयोग में नहीं आ रहा है। इसे व्यवस्थित कर हम्माल, पल्लेदार एवं तुलावटी के लिए भी उपयोगी बनाया जाए। इसके अलावा 2018 से बनाया 50 किलो प्रति नग तौल व्यवस्था का पालन कराने की मांग करते हुए कहा गया कि भिण्ड कृषि उपज मंडी में वर्तमान में 60 एवं 75 किलो की तौल हो रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन: फेडरेशन ने मांग की है कि 7 दिनों के भीतर सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए। अन्यथा हम्माल, पल्लेदार एवं तुलावटी मंडी परिसर में काम बंद करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान विनोद सुमन, हवलदार सिंह, बृजमोहन कुशवाह, महेश्वरी जाटव, महेंद्र सिंह राठौर, धनीराम शाक्य, उमम सिंह, राजेंद्र सिंह, लाखन सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञापन की एक प्रति एसडीएम को भी प्रेषित की गई।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर कलेक्टर ने किया श्रमदान



सामाजिक न्याय परिसर पार्क में हुई साफ-साफाई

नवभारत न्यूज भिण्ड, 05 मई. विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा सप्ताह के अंतर्गत आनंदधाम एवं सामाजिक न्याय परिसर स्थित पार्क में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवी संगठनों एवं स्वयंसेवकों ने सामूहिक श्रमदान कर परिसर की साफ-सफाई की और उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वयं फावड़ा उठाकर श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। उनके साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी यशवंत व्यास, रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. शैलेन्द्र परिहार,

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक डॉ. शिवप्रताप सिंह भदौरिया सहित कई समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पार्क परिसर की सफाई, कचरा निष्पादन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी दिव्यता का हिस्सा बननी चाहिए। जब समाज और प्रशासन मिलकर कार्य करते हैं, तब ऐसे सकारात्मक परिवर्तन संभव होते हैं। उन्होंने आमजन से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने एवं जनहित कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाए की अपील की। रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. शैलेन्द्र परिहार ने कहा कि 'रेडक्रॉस सेवा और मानवता का प्रतीक है। सेवा सप्ताह के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने और लोगों को स्वच्छता एवं सेवा के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक डॉ. शिवप्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि जनभागीदारी ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे श्रमदान कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में जयदीप सिंह, गजेंद्र सिंह, राजेश सिंह, साहस सिंह सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी बंधुओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

कांग्रेस की बैठक आज

नेशनल हाईवे-3 पर प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन को लेकर बनेगी रणनीति

नवभारत न्यूज भिण्ड, 05 मई. मध्यप्रदेश में किसानों की समस्याओं एवं उनके साथ हो रहे कथित अत्याचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस कमिटी भिण्ड द्वारा बुधवार, 6 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव एवं शहर जिला कांग्रेस कमिटी भिण्ड के प्रभारी सुनील शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगी। कार्यक्रम का आयोजन प्रमोद चौधरी मैरिज गार्डन, सिक्रेट हाउस के समीप दोपहर 12 बजे रखा गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे-3 पर प्रस्तावित

चक्का जाम आंदोलन की रणनीति तैयार करना है। साथ ही आंदोलन को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मुद्दे को लेकर कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में शहर जिला कांग्रेस कमिटी भिण्ड द्वारा बुधवार, 6 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव एवं शहर जिला कांग्रेस कमिटी भिण्ड के प्रभारी सुनील शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगी। कार्यक्रम का आयोजन प्रमोद चौधरी मैरिज गार्डन, सिक्रेट हाउस के समीप दोपहर 12 बजे रखा गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे-3 पर प्रस्तावित

विद्युत पेंशनर्स की मासिक बैठक

में समस्याओं पर हुई चर्चा




नवभारत न्यूज मुरैना, 5 मई. विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन मुरैना की मासिक बैठक सोमवार को बिजलीघर के प्रांगण में बने मॉडरन के परिसर में हुई। बैठक में पेंशनर्स की लंबित समस्याओं, शासन स्तर पर चल रही बातों एवं आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पेंशनर इशाक खान ने की, संचालन कार्यवाहक अध्यक्ष जयनारायण शर्मा ने किया। अंत में व्हीसी कुशवाह, रामेश्वर दयाल राठौर, सुरेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य विद्युत पेंशनर्स उपस्थित रहे।

प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पेंशनर्स की लंबित समस्याओं पर शीघ्र चर्चा करने का आश्वासन दिया गया है। बैठक में पेंशनर्स ने एकजुटता बनाए रखते हुए संगठन को मजबूत करने और अपनी मांगों को लेकर सतत प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में पेंशनर्स ने आभार व्यक्त किया। बैठक में जिलाध्यक्ष पीपी मिश्रा ने बताया कि 16 अप्रैल को भोपाल में

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न

पटाखे फोड़कर और मिठाई बाँटकर जताई खुशी



नवभारत न्यूज भिण्ड, 05 मई. भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में चुनावी सफलता की खुशी में लहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। मंडल अध्यक्ष भाजपा लहार सुभाष अग्निहोत्री के नेतृत्व में विधायक अम्बरीष शर्मा 'गुडू भैया' के निवास पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पटाखे फोड़े एवं मिठाई बाँटी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पार्टी की जीत पर खुशी जहिर की। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ अध्यक्ष विकास बिरथरे भी विशेष रूप से मौजूद रहें। मंडल अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री ने कहा कि यह जीत राष्ट्रवाद, विकास और जनविश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि पार्टी की सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं का अथक

परिश्रम और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है, वह जमीनी कार्यकर्ताओं के त्याग एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूती के साथ जन-जन तक पहुंचेगी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष राव साहब गुर्जर ने दबोह में पार्टी की जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर लहार मंडल अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री, विधानसभा

प्रभारी अंजनी कुरचानिया, भाजपा नेता राजा यादव, रविंद्र मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री, अभिभाषक संघ अध्यक्ष विकास बिरथरे, मंडल उपाध्यक्ष विनोद दीक्षित नन्ना, पूर्व सरपंच अश्वनी उर्फ मुंशी चौधरी, श्रीप्रसाद राठौर, रोहित त्रिपाठी, अनिल बिरथरिया, वरिष्ठ पार्षद आशीष शुक्ला छोट्टे, अंगद शुक्ला, मनोज दुरवार, सुधीर मुद्गल, उमेश पंचोरी, कमलकिशोर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पारिशिष्ट 8-B संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
तेहसिले जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/350/2026
सविता हासवानी बनाम दीपति सिंह
NEXT DATE : 19-06-2025
दीपति सिंह पत्नी रणधीर सिंह
पता-निवासी 495, संजय गांधी वार्ड-38, उत्तरी साईद, अदर रोड, भिण्ड, मध्यप्रदेश अन्य पता-सिकोनिया पार्क, सुशा नगर, थाटीपुर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
यह कि प्रार्थी सविता हासवानी ने आपके विरुद्ध आरसीएस ए/350/2026 के तहत दायर सविधित किया है, आपको इस न्यायालय में सुचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर याद का उत्तर देने के लिये उत्तरसंज्ञा/हाजिर होने के लिये समन किया जाता है, आप न्यायालय में उत्तर या किसी रूपे स्वीडर (अतिरिक्त) द्वारा उत्तरसंज्ञा हो सकते हैं, इसके साथक अनुदेश दिये गये हो और जो इस न्याय में सविधित सविता हासवानी के उत्तर का उत्तर देने के लिये आप न्यायिकी दस्तावेज पर यह यह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिष्ठा या नुकसान के लिये उत्तर दिये और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया है। यह किसी कारणवश की विधिबद्ध अथन के साथ उत्पन्न की जाने वाली धुंधी में प्रविष्टि करें। आपकी सुविधित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उरका निरादर आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुविधित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठाधीन अधिकारी को अवगत करवें। यह आज तारीख 21.04.2026 को भिंड इस्पात क्षेत्र और न्यायालय की सुनना लाना किया गया